अनुदान संख्या 11 - उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
GRANT No. 11 - DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	5050,69,00				
				6612,17,00	6504,58,67	-107,58,33
पूरक	Supplementary	1561,48,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					93,91,79
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-			1404,39,00	1397,47,29	-6,91,71
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					6,83,97

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय– आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	22834.00			
पू.	S.	552.00	27671.14	27662.44	-8.70
पु.	R.	4285.14			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	170155.00			
पू.	S.	55592.00	..	..	..
पु.	R.	-225747.00			
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	107007.00			
पू.	S.	1.00	97765.17	97343.10	-422.07
पु.	R.	-9242.83			
मुख्य शीर्ष "2885"	Major Head "2885"				
उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	Other Outlays on Industries and Minerals				
मू.	O.	167907.00			
पू.	S.	100001.00	486264.85	485360.25	-904.60
पु.	R.	218356.85			
मुख्य शीर्ष "3475"	Major Head "3475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services				
मू.	O.	31491.00			
पू.	S.	1.00	34153.44	34133.34	-20.10
पु.	R.	2661.44			

(I) ₹226250.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹55592.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) आठ शीर्षों के अंतर्गत पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹225671.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :—

(I) Provision of ₹226250.00 lakhs (including supplementary grant of ₹55592.00 lakhs obtained in December, 2024) remained wholly unutilized under eight heads; of these ₹225671.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads :-

(का) "तकनीकी शिक्षा – अन्य व्यय – स्वायत्त निकायों को परियोजना आधारित सहायता" – ₹1550.00 लाख;

(A) "Technical Education - Other Expenditure - Project Based Support to Autonomous Bodies" - ₹1550.00 lakhs;

(खा) "पिछड़े क्षेत्रों का विकास – सब्सिडी" –

(B) "Development of Backward Areas - Subsidies" -

(क) "पिछड़े एवं दूरस्थ क्षेत्र का औद्योगिक विकास" – ₹50190.00 लाख; और

(a) "Industrial Development of Backward and Remote Area" - ₹50190.00 lakhs; and

(ख) "जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित इकाइयों को माल और सेवा कर व्यवस्था के तहत बजटीय सहायता" – ₹173931.00 लाख (₹55592.00 लाख के पूरक अनुदान सहित)।

(b) "Budgetary Support under Goods and Service Tax Regime to the units located in the State of Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh and North Eastern States including Sikkim" - ₹173931.00 lakhs (including supplementary grant of ₹55592.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रह गया।

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2852" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(II)) Under Major Head "2852" - savings occurred under the following heads:-

(का) "उपभोक्ता उद्योग – अन्य – नमक आयुक्त" – ₹997.49 लाख की बचत (₹4330.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नमक आयुक्त कार्यालय की भूमि के सर्वेक्षण और सीमांकन, क्षेत्रीय कार्यालयों के नवीनीकरण के प्रस्तावों का मूर्त रूप न लेने, नमक कार्यालयों के बंद होने के कारण कम परामर्शदाताओं की नियुक्ति और रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

(A) "Consumer Industries - Others - Salt Commissioner" - saving of ₹997.49 lakh (against the sanctioned provision of ₹4330.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposals for survey and demarcation of Salt Commissioner Office land, renovation of regional offices, hiring of less consultants owing to closure of salt offices and non-filling up of vacant posts.

(खा) "सामान्य – औद्योगिक संवर्धन" –

(B) "General - Industrial Promotion" -

(क) "मेक इन इंडिया" – ₹3222.86 लाख की बचत (₹28986.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एडवांटेज असम 2025 कार्यक्रम के लिए असम

(a) "Make in India" - saving of ₹3222.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28986.00 lakhs) was due to non-

सरकार को भुगतान न किए जाने और नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड को निधियां जारी न किए जाने के कारण हुई।

(ख) "घरेलू उपकरणों (एसी और एलईडी लाइट) के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन" – ₹8445.60 लाख की बचत (₹29802.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कंपनियों से कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2885" – "पिछड़े क्षेत्रों का विकास – सब्सिडी" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास योजना 2017" – ₹7552.65 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(खा) "हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के लिए औद्योगिक विकास योजना, 2017" – ₹21133.28 लाख की बचत (₹56700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत प्रस्तावों की कम संख्या होने के कारण हुई।

(गा) "जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का औद्योगिक विकास" – ₹9037.57 लाख की बचत (मार्च, 2025 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक सहित ₹30001.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम इकाइयों का पंजीकरण किए जाने और राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत कम प्रस्ताव होने के कारण हुई।

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹627.30 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक तथा स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत और 38 प्रतिशत थी।

materialisation of payments to Government of Assam for event Advantage Assam 2025 and non release of funds to National Credit Guarantee Trustee Company Ltd.

(b) "Production Linked Incentives for White Goods (ACs and LED Lights)" - saving of ₹8445.60 lakh (against the sanctioned provision of ₹29802.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals from Companies.

(III) Under Major Head "2885" - "Development of Backward Areas - Subsidies" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Industrial Development Scheme 2017 for UT of J&K and UT of Ladakh" - saving of ₹7552.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals.

(B) "Industrial Development Scheme for the States of Himachal Pradesh (HP) & Uttarakhand, 2017" - savings of ₹21133.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹56700.00 lakhs) was due to less number of proposals approved/accepted by the State Level Committee.

(C) "Industrial Development of UT of Jammu & Kashmir" - saving of ₹9037.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30001.00 lakhs including token supplementary of ₹1.00 lakh obtained in March, 2025) was due to registration of less units and less proposals approved/accepted by the State Level Committee.

(IV) Under two heads savings of ₹627.30 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 17 percent and 38 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें (₹206214.85 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि दिसंबर, 2024 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹155595.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

2.(I) The above savings were partly (₹206214.85 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹155595.00 lakhs obtained in December, 2024 under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग" – ₹4300.09 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹4291.48 लाख था।

(A) Major Head "3451" - "Secretariat - Department for Promotion of Industry and Internal Trade" - ₹4300.09 lakhs. Actual excess, however, was ₹4291.48 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "2852" – "उपभोक्ता उद्योग – चमड़ा–फुटवियर, चमड़ा एवं सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम" – ₹3258.23 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3258.22 लाख था।

(B) Major Head "2852" - "Consumer Industries-Leather - Footwear, Leather and Accessories Development Programme" - ₹3258.23 lakhs. Actual excess, however, was ₹3258.22 lakhs.

(गा) मुख्य शीर्ष "2885" –

(क) "पिछड़े क्षेत्रों का विकास – सब्सिडी – जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित इकाइयों को वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत बजटीय सहायता" – ₹191863.78 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹190959.28 लाख था।

(ख) "औद्योगिक कॉरिडोर – दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर – राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी)" – ₹4384.00 लाख।

(C) Major Head "2885" -

(a) "Development of Backward Areas - Subsidies - Budgetary Support under Goods and Services Tax Regime to the units located in State of Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh and North Eastern States including Sikkim" - ₹191863.78 lakhs. Actual excess, however, was ₹190959.28 lakhs.

(b) "Industrial Corridors - Delhi Mumbai Industrial Corridor - National Industrial Corridors Development and Implementation Trust (NICDIT)" - ₹4384.00 lakhs.

(घा) मुख्य शीर्ष "3475" – "पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क का विनियमन – बौद्धिक संपदा" – ₹2408.75 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2403.86 लाख था।

(D) Major Head "3475" - "Regulation of Patents, Designs and Trade Marks - Intellectual Property" - ₹2408.75 lakhs. Actual excess, however, was ₹2403.86 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2852" – "सामान्य – औद्योगिक संवर्धन – औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना" – ₹608.00 लाख का अधिक व्यय (₹1.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 12 नई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2885" – "पिछड़े क्षेत्रों का विकास – सब्सिडी – पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्र का औद्योगिक विकास" – ₹60332.47 लाख का अधिक व्यय (₹811.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹250.48 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत है।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नानुसार हुईः–

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹15.00 लाख का प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(II) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹691.30 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक तथा स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत और 88 प्रतिशत थी।

(A) Major Head "2852" - "General - Industrial Promotion - Industrial Infrastructure Upgradation Scheme" - excess of ₹608.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1.00 lakh) was due to requirement of additional funds towards 12 new projects approved by the Cabinet.

(B) Major Head "2885" - "Development of Backward Areas - Subsidies - Industrial Development of Backward and Remote Area" - excess of ₹60332.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹811.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) Under one heads excess of ₹250.48 lakhs occurred constituting 15 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings occurred as under:-

(I) Provision of ₹15.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) Under two heads savings of ₹691.30 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 18 percent and 88 percent of the sanctioned provision.